

भारत सरकार  
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
(एएस- II प्रकोष्ठ)

संचार भवन,  
20, अशोक रोड,  
नई दिल्ली: 110001

दिनांक- 17 जुलाई/2008

842-725/2005-वीएएस (भाग)/291

सेवा में

मैसर्स रवान दूरसंचार प्राइवेट लिंग  
डी बी हाऊस, यशोधाम, जेनरल ए0 के0 वैद्य मार्ग  
गोरेगाँव (पूर्व)  
मुम्बई-400063.

विषय:- रॉल आउट दायित्वों पर दिनांक जून, 2008 के संदर्भ सं0 842-725/2005-269 के तहत जारी एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के खंड 2.2 (क) (i) के संशोधन का प्रभाव।

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 7 जुलाई, 2008 के पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह लिखने का निदेश हुआ है कि:-

- (क) अंतरा-सेवा क्षेत्र रोमिंग करार दो सेवा प्रदाताओं के बीच का मामला है तथा इसका लाइसेंसधारक पर अध्यारोपित रॉल-आउट दायित्वों के साथ कोई संबंध नहीं है।  
(ख) रॉल-आउट दायित्वों में कोई परिवर्तन या छूट नहीं है।  
(ग) लाइसेंसधारक को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के खंड 34 में विनिर्दिष्ट रॉल-आउट दायित्वों को पूरा करना है।

(राज0 के0 कटारिया)  
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित

1. सचिव, द्राई, नई दिल्ली।
2. उपमहानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
3. उपमहानिदेशक (सीएण्डए), दूरसंचार विभाग को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए।
4. उपमहानिदेशक (एएस-I) को सूचनार्थ।
5. भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ, नई दिल्ली।
6. भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता संघ, नई दिल्ली।